

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

पीएमईजीपी योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्र. पीएमईजीपी के तहत अधिकतम परियोजना लागत की राशि कितनी है?

उ. रु.25.00 लाख विनिर्माण इकाई के लिए एवं रु.10.00 लाख सेवा इकाई के लिए।

प्र. भूमि की लागत परियोजना लागत में शामिल हैं या नहीं?

उ. नहीं।

प्र. मार्जिन मनी की कितनी राशि (सरकारी सब्सिडी) स्वीकार्य है?

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी

	सब्सिडी दर (मार्जिन मनी)	
	(परियोजना लागत)	
एरिया (परियोजना /इकाई का स्थान)	शहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	15%	25%
विशेष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि	25%	35%

प्र. परियोजना लागत के घटक क्या है ?

उ. सामान्य श्रेणी के मामले में पूंजीगत व्यय ऋण, कार्यशील पूंजी का एक चक्र और स्वयं का अंशदान के रूप में परियोजना लागत का 10% तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मामले में परियोजना लागत का 5% ।

प्र. लाभार्थी कौन हैं ?

उ. उद्यमी, संस्थाएं, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट।

प्र. वित्तीय एजेंसियां कौन-कौन सी हैं?

उ. 27 सार्वजनिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी बैंक और संबंधित स्टेट टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

प्र. पूंजीगत व्यय ऋण / नकद ऋण सीमा का उपयोग कैसे किया जाए ?

उ. कार्यशील पूंजी एम.एम. की लॉक इन अवधि के तीन साल के भीतर कम से कम एक बार कैश क्रेडिट की 100% होनी चाहिए एवं कम से कम औसतन स्वीकृत की गई राशि के उपयोग के 75%से कम नहीं होना चाहिए।

प्र. लाभार्थी उसकी / उसके आवेदन / परियोजना कहाँ प्रस्तुत करें ?

उ. लाभार्थी निकटतम केवीआईसी / केवीआईबी / डीआईसी कार्यालयों या किसी भी बैंक (कम से कम 2-3 सप्ताह के लिए ईडीपी प्रशिक्षण पूरा हो) पर उसकी / उसके आवेदन / परियोजना प्रस्तुत कर सकते हैं। केवीआईसी / केवीआईबी / डीआईसी के कार्यालय पत्तों की सूची हमारी वेबसाइट www.pmegp.nic.in पर उपलब्ध हैं।

प्र. ग्रामोद्योग क्या है?

उ. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी ग्रामोद्योग (नकारात्मक सूची में उल्लिखित उन लोगों को छोड़कर) जो किसी भी माल का उत्पादन बिजली के उपयोग अथवा इसके बिना अथवा सेवा प्रदान की है तथा जिसमें पूर्णकालिक कारीगर अथवा कामगार मद के अंतर्गत स्थाई पूंजी निवेश मैदानी क्षेत्र के लिए 1.00 लाख रुपए पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपए तथा अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लक्ष्यद्वीप के लिए रु 4.5 लाख से अधिक न हो।

प्र. ग्रामीण क्षेत्र क्या है?

उ. जनसंख्या की परवाह किए बगैर उस राज्य की राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी क्षेत्र का वर्गीकरण ग्रामीण क्षेत्र के रूप में किया जाता है। इसमें वे क्षेत्र भी शामिल जिसे भले ही शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया हो बशर्ते इसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक न हों।

प्र. परियोजना हेतु आयु सीमा क्या है?

उ. 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी वयस्क आरईजीपी के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र है।

प्र. इस परियोजना का मुख्य मापदंड क्या है?

उ. परियोजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करें (ग्रामीण क्षेत्र परियोजना के लिए) प्रति व्यक्ति निवेश, स्वयं का अंशदान, नकारात्मक सूची एवं इकाई नई होनी चाहिए।

प्र. क्या ईडीपी प्रशिक्षण अनिवार्य है?

उ. पीएमईजीपी ई पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी दावे से पूर्व, 10.00 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजना हेतु 10 कार्य दिवसों का ईडीपी प्रशिक्षण तथा 10.00 लाख तक की लागत वाली परियोजना हेतु 6 कार्य दिवसों का प्रशिक्षण लाभार्थी के लिए अनिवार्य है।

प्र. क्या जमानत राशि अनिवार्य है?

उ. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमईजीपी ऋण के तहत 10.00 लाख तक के लागत वाली परियोजना अमानत राशि से मुक्त है। पीएमईजीपी योजना के तहत रु 5.00 लाख से ऊपर लागत वाली परियोजना तथा रु. 25.00 लाख तक की लागत वाली परियोजना हेतु सीजीटीएसएमई जमानत की गारंटी प्रदान करती है।

प्र. परियोजना की तैयारी में लाभार्थी के लिए हेल्पलाइन क्या है?

उ. 30 मॉडल परियोजनाओं को www.kvic.org.in वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

प्र. क्या उद्यमी एक से अधिक परियोजना प्रस्तुत कर सकते हैं?

उ. नहीं।

प्र. परिवार की परिभाषा क्या है?

उ. पति और पत्नी।

प्र. क्या शहरी क्षेत्र में इकाई स्थापित किया जा सकता है?

उ. हाँ डीआईसी के माध्यम से।

प्र. पीएमईजीपी के तहत मौजूदा इकाई धन लाभ ले सकते हैं या नहीं?

उ. नहीं, केवल नई इकाई।

प्र. क्या मॉडल परियोजनाएं केवीआईसी के पास उपलब्ध हैं?

उ. हाँ, उद्योगवार मॉडल परियोजनाएं www.kvic.org.in पर उपलब्ध हैं।

प्र. ईडीपी शुरू करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ-कहाँ पर हैं?

उ. ईडीपी प्रशिक्षण केन्द्रों व आरएसईटीआई/आरयुडीएसईटीआईएस की सूची हमारे वेबसाइट kvic.org.in पर उपलब्ध हैं।

प्र. सरकारी सब्सिडी के लिए लॉक-इन अवधि कितनी है?

उ. 3 वर्ष।

प्र. परियोजना दो अलग-अलग स्रोतों (बैंक/वित्तीय संस्थाओं) से संयुक्त रूप से वित्त पोषण किया जा सकता है?

उ. नहीं, यह ग्राह्य नहीं है।

प्र. स्वयं का अंशदान कितना करना होगा?

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणी

लाभार्थियों का अंशदान

(परियोजना लागत)

सामान्य श्रेणी	10%
विशेष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि	0.5%